

प्रपत्र 'ग'

(नियम 6 का उपनियम (2) और (4) देखिये)

उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम.1958

भूमि के विकास के लिए अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रपत्र

प्रेषक—

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, ललितपुर
जिला—ललितपुर(उ.प्र.)

सेवा में,

श्री जौनको प्रोपर्टीस द्वारा श्री भूपेन्द्र जैन तनय श्री सिद्धीसागर
जैनको एसोसिएट द्वारा श्री विपुल जैन तनय श्री भूपेन्द्र जैन
निवासी — सिविल लाइन ललितपुर (उ0प्र0)

महोदय,

कालौनी/मार्ग तालाबपुरा स्थित आराजी संख्या 3180, 3181, 3182, 3186 व 3187 मि0 ललितपुर वार्ड नं0 1.3.....मे भूमि विकास हेतु अनुज्ञा देने के लिये आपके आवेदन संख्या 81/20-21 दिनांक 28.10.2020 के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करना है, कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृति दी गई है।

- 1— स्वामित्व के रूप में यह स्वीकृति तलपट मानचित्र किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।
- 2— स्वामित्व संबंधी कोई भी विवाद होने पर यह स्वीकृत तलपट मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा और किए जा चुके निर्माण विकास पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 3— स्वीकृत तलपट मानचित्र के विरुद्ध कोई भी परिवर्तन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जाएगी और किए जा चुके विकास कार्य पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 4— विकास कार्य करते समय निर्धारित प्रपत्र अ पर सूचना इस कार्यालय में देना अनिवार्य है।
- 5— निरीक्षण के दौरान कर्मचारी/अधिकारी के अवलोकनार्थ तलपट मानचित्र स्थल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- 6— यह स्वीकृति, स्वीकृति के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा, इसके पश्चात इसके आधार पर किए जाने वाला/किया गया विकास कार्य अवैधानिक होगा।
- 7— इस तलपट मानचित्र से सरकारी/गैर सरकारी/ नगर पालिका नजूल या किसी भी भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाती है।
- 8— प्रस्तुत आंगणन व अनुबंध की शर्तों के अधीन, आपके द्वारा विकास कार्य न करने की दशा में आपके द्वारा स्थापित अनुबंध में उल्लिखित/ बन्धक प्लॉट संख्या 26, 1 व 7 कुल 3 प्लॉट क्षेत्रफल 341.49 वर्ग मीटर को नीलाम कर उससे विकास कार्य कराया जाएगा।
- 9— ले-आउट के अन्तर्गत प्रथक से उप विभाजन कर स्वीकृति हेतु प्राप्त भवन मानचित्रों पर शमन शुल्क के रूप में तत्समय प्रचलित सर्किल रेट का 1 प्रतिशत की धनराशि अलग से बसूल की जावेगी।

कार्यालय की मुहर.....

कार्यालय सूचना संख्या.....



नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर